राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2085/2014/टोंक.

सहायक आयुक्त, विशेष वृत–IV, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कैलाश उद्योग, निवाई, टोंक. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 10/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 42/13–14/वैट/टोंक में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.05.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–चतुर्थ, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 18.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 14.02.2012 को किया गया था। सर्वेक्षण के पश्चात् अभिग्रहित किये गये लूज पेपर्स एवं स्टॉक के सम्बन्ध में नियमित लेखा–पुस्तकों से सत्यापन किया जाकर असत्यापित बिक्री राशि पर कर एवं करापवंचन के आरोप में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया जाकर मय ब्याज रूपये 73,071/– की मांग सृजित की गयी थी जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं स्पष्टीकरण का विवेचन नहीं किये जाने के आधार पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था एवं यह निर्देश दिये गये थे कि वे विवादित सौदों के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तथा दिये गये जवाब का सत्यापन कर पुनः आदेश पारित करें।

लगातार.....2

3. अपीलीय आदेश के विरूद्ध राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील की सुनवाई की गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है एवं प्रतिप्रेषित वाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः निर्णय किये जाने की कोई सूचना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

4. अपीलार्थी राजस्व की केवलमात्र यह दलील है कि अपीलीय निर्णय विधिसम्मत नहीं है परन्तु अपीलीय निर्णय के अध्ययन से यह प्रकट है कि प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण के समय दिये गये जवाब को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं दिया गया था तथा प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन नहीं किया गया था जिसके लिये अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5. फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलीय आदेश दिनांक 08.05.2014 में दिये गये निर्देशों की पालना करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें।

6. निर्णय सुनाया गया।

10/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य